न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

उनवान गुलशन बनाम रामू

कदमा संख्या / वर्ष टी0आई0 31 / 2024

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	07/1/25	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष हाजिर। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि विवादित आराजी ग्राम सुंदरियावास, पटवार हल्का दुर्जनियावास, भू0अ0नि0क्षेत्र कालवाड, तहसील कालवाड, जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 101 रकबा 4.6412 है0, खसरा नम्बर 102 रकबा 2.2258 है0, खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0379 है0 व खसरा नम्बर 315/161 रकबा 15.620 है0 में अप्रार्थी संख्या 01 का हिस्सा 1/8 दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी के पडदादा से उसके दादा अप्रार्थी संख्या 01 (रामू) के नाम पैतृक भूमि के रूप में विरासत से प्राप्त हुई है। पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थी का उक्त भूमि में जन्म से ही 1/48 हिस्सा निहीत है। अप्रार्थी की माता उक्त भूमि पर कृषि काश्त व मेहनत मजदूरी उसका लालन पालना करती है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 प्रार्थी की माता व प्रार्थी को उस भूमि से बेदखल कर भूमि का बेचान करना चाहते है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 को ताफैसला वाद अस्थ्झाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जावे की प्रार्थी की पैतृक भूमि में उसके हिस्से 1/48 की भूमि में कृषि काश्त में किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे, बेचान, अन्तरण, हस्तानान्तरण, तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट नही करने निवेदन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का जवाब पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी में प्रार्थी अथवा उसकी माता का कोई विधिक अधिकार, कब्जा नहीं है। प्रार्थी ने उसकी माता के जरिए उनके खिलाफ प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा माता–पिता भरण पोषण अधिनियम के तहत प्राप्त बेदखली के आदेश पर अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह प्रार्थना पत्र झूटे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जावे। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्षों की दौराने बहस जाहिर हुआ। पत्रावली मय रिकार्ड के अवलोकन से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, चूंकि मामला पैतृक भूमि से संबंधित है जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही हक निहीत है। यदि अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान, हस्तानान्तरण किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होना	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Ver
Digitally signed by Sar
Date: 2025.05.14 14:2
Reason: SelfAttested

की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः विवादित आराजी ग्राम सुंदरियावास पटवार हल्का दुर्जनियावास, भू0अ0नि0क्षेत्र कालवाड तहसील कालवाड जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 93 के खसरा नम्बर 101 रकबा 4.6412 है0, हाल खाता संख्या 116 के खसरा नम्बर 102 रकबा 2.2258 है0, व खाता संख्या 6 के खसरा नम्बर 117 रकबा 0.0379 है0 व हाल खाता संख्या 7 के खसरा नम्बर 315/161 रकबा 15.620 है0 में अप्रार्थी संख्या 1 को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से 1/8 दर हिस्सा 1/3 यानी कुल 1/24 से अधिक भूमि को **Alienate** (पृथक) ना करे।

निर्णय आज दिनांक 07/01/2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2025.05.14 14:20:59 IST
Reason: SelfAttested